न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 34 / प्रा.पत्र / 2024 (GCMS No. 2024 / 40)	30.01.2024	09.09.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, के.पाटन (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

1.मृतक बजरंग आ. औंकार रेगर नि. गेण्डोलीखुर्द जर्ये कायम मुकाम

1 / 1 सत्यनारायण आ.स्व.बजरंग रेगर नि. रेगर बस्ती गेण्डोलीखुर्द
1 / 2 बाबूलाल आ.स्व.बजरंग रेगर नि. रेगर बस्ती गेण्डोलीखुर्द
1 / 3 मनभर बाई पुत्री स्व.बजरंग रेगर नि. रेगर बस्ती गेण्डोलीखुर्द
1 / 4 प्रेम बाई पुत्री स्व.बजरंग रेगर नि. रेगर बस्ती गेण्डोलीखुर्द
1 / 5 कैलाश बाई पुत्री स्व.बजरंग रेगर नि. रेगर बस्ती गेण्डोलीखुर्द
हाल तहसील रायथल जिला बून्दी (राज0)

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के पिता बजरंग आ. औंकार को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 309 रकबा 0.73 हैक्टेयर वाकेग्राम गेण्डोलीखुर्द की झौपडिया आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

जिला कलक्टर, बून्दी

अति.जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी से तहसील रायथल के क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 34/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/40 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी सं. 1/2 बाबूलाल द्वारा दिनांक 04.03.2021 को उपस्थित न्यायालय आकर आवंटी बजरंग के फोत हो जाने की सूचना दी गई। तत्पश्चात तहसीलदार रायथल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मृतक बजरंग के वारिसान को कायम मुकाम बनाया जाकर जर्ये नोटिस तलब किया गया, किन्तु बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटीगण तथा उनके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल खसरा गिरदावरी संवत 2076 के अनुसार उक्त आवंटित भूमि पड़त पड़ी हुई है। इस प्रकार आवंटीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटीगण के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि बजरंग आ. औंकार जाति रेगर निवासी गेण्डोली खुर्द की झौपडिया को मिसल सं.126 पर दिनांक 10.11.1975 को भूमि खसरा सं. 938 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा वाकेग्राम गेण्डोली खुर्द का आवंटन किया गया था। आवंटीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 14(4) पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम गेण्डोली खुर्द की नकल जमाबंदी संवत 2075–2078 के अनुसार भूमि खसरा सं. 309 रकबा 0.73 हैक्टेयर पर अप्रार्थी बजरंग आ. औंकार जाति रेगर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2076 के अनुसार उक्त भूमि खसरा सं. 309 पड़त पड़ी हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं आई.एल.आर. अनुसार भूमि खसरा संख्या 309 रकबा 0.73 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है। राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटीगण का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है। बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आना भी आवंटीगण की उक्त आवंटन में कोई रूचि नहीं होने को प्रकट करता है।

जिला कलक्टर, बून्दी

क्रमांक— /रीडर/2024 दिनांक 09.2024

DM Court Bundi GCMS No. 2024/40
Decision Date 09/09/2024 Page 3 to 3

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटीगण का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी बजरंग आ. औंकार जाति रेगर निवासी गेण्डोली खुर्द की झौपडियां को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 938 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा वाकेग्राम गेण्डोली खुर्द (हाल खसरा संख्या 309 रकबा 0.73 हैक्टेयर वाकेग्राम गेण्डोली खुर्द की झौपडिया) दिनांक 10.11.1975 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रायथल को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 09.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी